FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थीयाः– बनाम अप्रार्थीगण :–

नेमीचन्द पुत्र सुकनराज वगैरह उपखण्ड अधिकारी रोहट वगैरह

राजस्व विविध 18 / 2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2026 / 55

अन्तर्गत धारा 24 सी. पी. सी.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 सी. पी. सी. के तहत उपखण्ड अधिकारी, रोहट के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व विविध प्रकरण संख्या 10/2023 बअनवान मृत प्रकाशमल के कायम मुकाम विमलचन्द वगैरह बनाम मनीष कुमार वगैरह को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किये जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पैरावाईज टिप्पणी मय उक्त पत्रावली तलब कर पत्रावली आगामी दिनांक 08.04.2026 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	236-238 24.03.26
08.04.26	अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थी क्र. (7) उप.। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 15.04.26 को पेश हो।	गोरधराम 9239 7903 3488 → USD
15.04.26	पी. ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने से पेशी इत्तला होकर पत्रावली दि. 21.04.26 को पेश हो।	
21.04.26	पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी उप.। बहस सुनी गई। अधि. प्रार्थी द्वारा दौराने बहस और – प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उन्हें न्यायालय SDO Rohat से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद में उनके न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 10/2023 बअनवान प्रकाशमल वगैरह बनाम मनीष कुमार जैन वगै. को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण का आदेश फरमावे। अधि. प्रार्थी द्वारा किये गये बहस व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि और प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 23.03.2026 को प्रस्तुत एवं दर्ज किया गया,	

जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2026 को ही उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 10/2023 में निर्णय पारित किया जा चुका है। चूंकि और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद का निस्तारण हो चुका था, जिससे उक्त और प्रार्थना पत्र infructuous होने से न्यायालय हाजा में चलाये रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रहता।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत और प्रार्थना पत्र infructuous होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील इस न्यायालय के नम्बर से एक कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली